

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

3

अनुमति वाद संख्या :- 289 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

डुलु मुण्डा  
रीता देवी

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
12.11.18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक डुलु मुण्डा पिता स्व० बुधु मुण्डा ग्राम-नामकोम, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने रीता देवी पति श्री रामावतार सिंह मुण्डा ग्राम-खूँटी टोली, तोरपा रोड़ खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="252 770 1385 882"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (डीसमील में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नामकोम</td> <td>90</td> <td>08</td> <td>97</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1515588179 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 05.11.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम शाए मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मोदो मुण्डा वैगरह के नाम भूमि का रकबा 8.03 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.61 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 53180.00(तिरपन हजार एक सौ अस्सी)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.51 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण डुलु मुण्डा पिता स्व० बुधु मुण्डा को रीता देवी पति श्री रामावतार सिंह मुण्डा के साथ ग्राम नामकोम के खाता सं० 08 खेसरा संख्या 97 का रकबा 0.10 डीसमील भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 53180.00(तिरपन हजार एक सौ अस्सी)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (डीसमील में)	नामकोम	90	08	97	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (डीसमील में)								
नामकोम	90	08	97	0.10								

लेखापित एवं संशोधित  
12/11/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

2  
12/11/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।